न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

बउनवान—सरकार बनाम परवेज खान

किस्म— सैशन प्रकरण नंबर—19/2016, क.न.—83/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24-04-26	सी.बी.आई के अपर लोक अभियोजक जरिए वी.सी. उपस्थित। अभियुक्त परवेज खान बरजमानत उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत पासपोर्ट नवीनीकरण के संबंध में बहस सुनी गई जिसका एतद्दारा निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि प्रार्थी का पासपोर्ट संख्या Y8716920 है। उक्त पासपोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2021 की पालना में दिनांक 06.09.2023 को एक साल के लिए जारी हुआ था जिसकी अवधि दिनांक 05.09.2024 को समाप्त हो गई थी। प्रार्थी द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने में माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही होगी। स्वतंत्रता के साथ भ्रमण करना व्यक्ति का संविधान में प्रदत मौलिक अधिकार है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष इस आशय की अण्डरटेंकिग भी पेश करने को तैयार है कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना विदेश भ्रमण नही करेगा। प्रार्थी पूर्व में भी न्यायालय के अनुमति के पश्चात विदेश भ्रमण कर पुनः न्यायालय के समक्ष पेश हो गया था और निरन्तर न्यायालय के समक्ष हाजिर हो रहा है अतः प्रार्थी का पासपोर्ट नवीनीकरण किए जाने के आदेश दिए जाने बाबत निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में सीबीआई के अपर लोक अभियोजक ने आपत्ति जाहिर करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खारिज किए जाने का	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परीशीलन किया गया। सी.बी.आई. के अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस प्रार्थी का पासपोर्ट नवीनीकरण किए जाने का निवेदन किया इस संबंध में सीबीआई के अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने पासपोर्ट संख्या Y8716920 को नवीनीकरण कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पासपोर्ट नवीनीकरण करने का प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2021 को प्रार्थी/अभियुक्त के पासपोर्ट को नवीनीकरण किए जाने के आदेश दिए गए थे। साथ ही न्यायालय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के–

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 5870/2024 Date 02-09-2024 को पारित आदेश से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसके अनुसारः–

As an upshot of my discussion, the petition is allowed in above terms. However, it is clarified that the petitioner shall abide by the bail conditions each time he travels abroad and he must comply with any other conditions, if any, imposed by the learned trial court.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त विदेश यात्रा के दौरान जमानत की शर्तो का पालन करेगा तथा विचारण न्यायालय द्वारा शर्ते लगाए जाने पर उनका भी पालन करेगा।

उक्त प्रकरण धारा 458,323,302,307 भारतीय दण्ड संहिता के गंभीर आरोपो से संबंधित है और

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
... जिला ...

अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थी/अभियुक्त का पासपोर्ट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया है हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त का पासपोर्ट नवीनीकरण कराने बाबत पूर्व में दिनांक 06.09.2021 को भी न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए है तथा प्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में चस्पा होते है अतः उपरोक्त विवेचन तथा उक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते हुए अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के समक्ष इस आशय की अण्डरटेंकिग पेश करे कि वह विदेश यात्रा करने से पूर्व न्यायालय से अनुमति प्राप्त करे और न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नही छोड़ेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त का पासपोर्ट नवीनीकरण कर दिया जावें।

पत्रावली वास्ते पेश होने अण्डरटेंकिग दिनांक 25.4.22 को पेश हो।

Asre Choudhary

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम संख्या, जिला झुंझुनूं-झुंझुनूं